एफ. संख्या 225/205/2024/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

*****

नॉर्थ ब्लॉक, 09 जून, 2025

विषय: - **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत दाखिल रिटर्न को निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक प्रोसेस करने के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(क) के तहत आदेश** - **संदर्भ में।**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड *('बोर्ड')*, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119(2)(क) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान में निर्धारित समय-सीमा में छूट देता है और निर्देश देता है कि आकलन वर्ष (एवी) **2023-24 के लिए अधिनियम की धारा 139 के तहत दायर की गई आयकर की इलेक्ट्रॉनिक रूप से वैध रिटर्न**, जिसके लिए अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना भेजने की तारीख समाप्त हो गई है, अब संसाधित की जाएगी और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना **30.11.2025** तक संबंधित करदाता को भेजी जाएगी।

2. उपरोक्त दी गई छूट **निम्नलिखित रिटर्न पर** लागू नहीं होगी:

a. जांच में चयनित रिटर्न;
b. यदि रिटर्न किसी भी ऐसे कारण से प्रोसेस नहीं हो पाता जो करदाता के कारण हो, तो।

3. ऐसे मामलों में जहाँ पैन-आधार लिंक नहीं है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर की किसी भी राशि या उसके हिस्से की वापसी नहीं की जाएगी, जैसा कि परिपत्र संख्या 03/2023 दिनांक 28.03.2023 एफ. सं. 370142/14/2022-टीपीएल में निर्धारित किया गया है।

4. जरूरी अनुपालन के लिए इसे सभी के ध्यान में लाया जाए।

(डॉ. कास्त्रो जयप्रकाश.टी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सूचनार्थ प्रतिलिपि :-

i. अध्यक्ष (सीबीडीटी) और सीबीडीटी के सभी सदस्य
ii. सभी प्रमुख सीसीआईटी और डीजीआईटी
iii. डीजीआईटी (सिस्टम), दिल्ली और डीजीआईटी (सिस्टम), बेंगलुरु को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध के साथ
iv. एडीजी (टीपीएस)-1 और एडीजी (टीपीएस)-2 प्रशासन और करदाता सेवा निदेशालय, दिल्ली
v. विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ एडीजी (सिस्टम)-4
vi. जेसीआईटी, आईआरएस अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए डाटाबेस सेल
vii. गार्ड फ़ाइल

(डॉ. कास्त्रो जयप्रकाश.टी)
अवर सचिव, भारत सरकार